

पत्रांक/5455/आयुकर0उत्त0/वाणि0कर/आई0टी0अनुभाग/2014-14/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(आई0टी0-अनुभाग)
देहरादून :: दिनांक: 19 फरवरी, 2015

:-विज्ञापित:-

(व्यापारियों हेतु प्रक्रिया On Line CST Registration के सम्बंध में)

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धिकर नियमावली, 2005 की धारा-55 सपठित केन्द्रीय बिक्री कर (उत्तराखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम-9 के द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रान्त मे पंजीकृत व्यापारियों द्वारा मैनुवल केन्द्रीय पंजीयन आवेदित किये जाने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए एतद्वारा केन्द्रीय पंजीयन आवेदन हेतु नई ऑनलाईन प्रक्रिया प्रतिस्थापित की जाती है। इस प्रकार प्राविधानित नई प्रक्रिया के अनुसार विभाग द्वारा तैयार किये गये सॉफ्टवेयर के माध्यम से On Line केन्द्रीय पंजीयन प्रार्थना पत्र दाखिल करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

step 1- व्यापारी द्वारा विभागीय वैबसाईट www.comtaxappl.uk.gov.in पर अपने यूजर आई0 डी0 एवं पासवर्ड से लॉग इन किया जायेगा।

step 2- उसके बाद स्क्रीन पर बाईं ओर प्रदर्शित हो रही रिपोर्ट में से “CST रजिस्ट्रेशन” पर क्लिक करना है।

step 3- इसके उपरांत उपलब्ध विकल्पों में से “न्यू एप्लिकेशन” पर क्लिक करने पर एप्लिकेशन का फॉर्मेट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा।

step 4- “Application for CST registration Under” के अन्तर्गत सामने बने बॉक्स के dropdown से व्यापारी सम्बन्धित केन्द्रीय धारा, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय पंजीयन लिया जाना है, का चयन किया जायेगा।

step 5- बिन्दु संख्या 1 से लेकर 10 तक व्यापारी द्वारा अपने व्यापार से सम्बन्धित सूचनाये अंकित की जायेंगी।

step 6- बिन्दु संख्या 11 में व्यापारी द्वारा फर्म के प्रॉपराईटर, पार्टनर या व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों का विवरण अंकित किया जायेगा। एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में सूचना अंकित करने हेतु Add के option का प्रयोग किया जायेगा।

step 7- बिन्दु संख्या 12 से 14 तक व्यापारी द्वारा व्यापार से सम्बन्धित विवरण अंकित किये जायेंगे।

step 8- बिन्दु संख्या 15 में केन्द्रीय पंजीयन के अन्तर्गत वांछित वस्तुओं को अंकित किया जायेगा। इसके लिये “Class of Good” के अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे।

A. Purchase by Dealer इसके अन्तर्गत व्यापारी उन वस्तुओं का उल्लेख करेगा जिन्हें उनके द्वारा खरीदने के उपरान्त निम्नलिखित 08 उद्देश्यों हेतु प्रयोग किया जायेगा।

- 01 For Resale
- 02 For use of Manufacture or Processing of goods for sale
- 03 For use in mining
- 04 For use in the generation of electricity or any other form of power
- 05 For use in the distribution of electricity or any other form of power
- 06 For use in telecommunications network
- 07 For use in the packing of goods for sale or resale
- 08 For packing of goods or containers

B. Produced by Dealer इसके अन्तर्गत व्यापारी उन वस्तुओं का उल्लेख करेगा जिन्हें उनके द्वारा उत्पादन के उपरान्त निम्न उद्देश्यों हेतु प्रयोग किया जायेगा।

- 01 Manufactured for sale
- 02 Processed for sale
- 03 Extracted in mining for sale
- 04 Form of power generated
- 05 Form of power distributed
- 06 Description and type of telecommunication network

step 09- इसके पश्चात “major category” के अन्तर्गत commodity group का चयन किया जायेगा।

step 10- उपरोक्त major category चयन करते ही minor category में उपरोक्त major category के अन्तर्गत आने वाली वस्तुयें स्वतः ही प्रदर्शित होने लगेंगी। इन वस्तुओं में से किसी भी वस्तु का चयन किया जा सकता है और यदि minor category के अन्तर्गत वस्तु उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में other than above का ऑप्शन चयन किया जायेगा और इसके उपरान्त sub category के अन्तर्गत वस्तु का व्यापारिक या प्रचलित नाम भी अंकित किया जा सकता है।

step 11- इसके उपरान्त उपरोक्त को “Save” करने हेतु “Save Commodities” के बटन पर Click करें। जिससे चयन किए गए विकल्प उपर Grid के रूप में दिखाई देंगे।

step 12- Step 8 से लेकर 11 तक की प्रक्रिया को बार-बार प्रयोग करते हुए एक से अधिक वस्तुओं का चयन किया जा सकता है।

step 13- इस प्रकार चयनित की गयी सभी वस्तुओं View all Commodities list में क्लिक कर देखी जा सकती है।

step 14- इस प्रकार Add की गयी Commodity में से किसी Commodity को संशोधित करने हेतु ग्रिड में Delete के option का प्रयोग किया जा सकता है।


step 15- बिन्दु संख्या- 16 में CST पंजीयन शुल्क का विवरण भरा जायेगा। जिसमें व्यापारी को पंजीयन शुल्क का भुगतान करने हेतु दो विकल्प दिखाई देंगी।

I. e-payment II. Manual Payment

a) व्यापारी यदि “e-payment” का चयन करता है तो उसे केवल “CIN No.” भरना होगा जिसके उपरान्त अन्य विवरण स्वयं ही भर कर प्रदर्शित हो जाएंगे।

b) व्यापारी यदि “Manual Payment” का चयन करता है। तो उसे समस्त विवरण स्वयं भरने होंगे।

step 16 - इस प्रकार पूर्ण रूप से भरे गये आवेदन पत्र को जांच कर Final submit की बटन पर क्लिक कर Sumit किया जा सकता है। जिसके उपरान्त “Your Application for CST Registration has been Submitted Successfully” का Message प्रदर्शित होगा। इसमें “Print” की सुविधा उपलब्ध होगी, “Print” बटन पर Click करने पर आप अपने आवेदन पत्र का Print out ले सकते हैं।



(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ०प०सं०व 5455 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
- 3- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊं जोन रुद्रपुर।
- 4- एडिशनल कमिश्नर (ऑडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 5- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य०) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर-निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- 7- ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि०अनु०शा०/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 8- श्री शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
- 9- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूढ़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
- 10-Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13- आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई-400001 महाराष्ट्र।
- 11- National Law House बी-2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 12- National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 13- Swastk Publication एस0ई-233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 14- Law Book Traders 10-नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0 प्र0।
- 15- डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।
- 16- अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
- 17- प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।
- 18- दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।
- 19- प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेडिंग कम्पनी 81-मोती बाजार देहरादून।
- 20- The whole sale dealers Association 14-आढ़त बाजार देहरादून।
- 21- प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।
- 22- कार्यालय अधीक्षक/विधि-अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
- 23- समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।


आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड